तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.05.2025	अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) जोधपुर जिला (ग्रामीण) एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय फलोदी के आदेश से पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में बैच के समक्ष प्रस्तुत हुई। वकील उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील उभय पक्ष के निवेदन पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। 10/5/25 सदस्य सहायक कलक्टर बाप (फलोदी) राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या ०५ 10/05/25 अध्यक्ष सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाप राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या ०५	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 46/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/91**
दायर दिनांक :– 10.03.2025 **निर्णय दिनांक :– 10.05.2025**

1. नथमल सुथार पुत्र राणीदान सुथार जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

वादी.........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादी की खरीदसुदा भूमि खसरा नम्बर 102/9 रकबा 6.0784 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 102/19 रकबा 6.0784 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा बडीसिड पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 102/19 रकबा 6.0784 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा है। उक्त भूमि को वादी ने जरिये पंजीबद्व विकय पत्र के दिनांक 19.07.2024 को खरीद की थी उक्त विकय पत्र में वादी का सही एवं वास्तविक नाम नथमल सुथार पुत्र राणीदान सुथार टंकित किया हुआ है। उक्त विकय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2852 व 2853 मौजा बडीसिड भर कर स्वीकृत हुआ जेकिन उक्त नामान्तरकरण भरते समय पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से वादी के सही एवं वास्तविक नाम नथमल सुथार पुत्र राणीदान सुथार के स्थान पर विकय पत्र के विरूद्व जाकर नभमल सुथार पुत्र राणीदान सुथार दर्ज कर दिया जो सरासर गलत है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम नथमल सुथार पुत्र राणीदान सुथार है और इसी नाम से ही वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड व विकय पत्र आदि बने हुवे है तथा वादी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। इसलिये वादी ग्राम बडीसिड पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 102/9 रकबा 6.0784 हैक्टेयर तथा खेत खसरा नम्बर 102/19 रकबा 6.0784 हैक्टेयर भूमि में दर्ज अपने गलत नाम नभमल सुथार पुत्र राणीदान सुथार के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम नथमल सुथार पुत्र राणीदान सुथार के नाम से खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम बडीसिड के खसरा नम्बर 102/9 रकबा 6.0784 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 102/19 रकबा 6.0784 हैक्टेयर भूमि जरिये विकय पत्र के वादी ने खरीद की थी। विकय पत्र के आधार पर भरे गये नामानतरकरण संख्या 2852 व 2853 मौजा बडीसिड में वादी का नाम नभमल सुथार पुत्र राणीदान सुथार दर्ज कर दिया जबकि वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज व विकय पत्र में वादी का नाम नथमल सुथार पुत्र राणीदान सुथार दर्ज है। वादी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर वादी को नभमल सुथार पुत्र राणीदान सुथार के स्थान पर नथमल सुथार पुत्र राणीदान सुथार दर्ज किया जाना उचित है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। वादी नथमल के बयान पी.डब्लू-1 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2076-2079 ग्राम बडीसिड पटवार हल्का बडीसिड के खसरा नम्बर 102/9 रकबा 6.0784 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102/19 रकबा 6.0784 हैक्टेयर 1/4 हिस्सा स्थित है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में नभमल सुथार पुत्र राणीदान सुथार दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा विकय पत्र, आधार कार्ड एवं लिखित साक्ष्य इत्यादि से साबित है कि वादी का नाम नथमल सुथार पुत्र राणीदान सुथार है। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बडीसिड पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 102/9 रकबा 6.0784 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102/19 रकबा 6.0784 हैक्टेयर 1/4 हिस्सा भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम नभमल सुथार पुत्र राणीदान सुथार के स्थान पर नथमल सुथार पुत्र राणीदान सुथार नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिकी पर्चा अलग से मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.5.25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

/Crim

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. नथमल सुथार पुत्र राणीदान सुथार जाति सुथार निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

वादी...........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 46/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम बडीसिड पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 102/9 रकबा 6.0784 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102/19 रकबा 6.0784 हैक्टेयर 1/4 हिस्सा भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम नभमल सुथार पुत्र राणीदान सुथार के स्थान पर नथमल सुथार पुत्र राणीदान सुथार नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।नीचे

मुतालिक	बाबत्
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर	फीस सदी सालाना आज की तारीख
वसूल याबी तक	को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.05.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।